

**राजस्थान सरकार**  
**निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर**

क्रमांक: नर्सिंग/नर्स-1/एसीपी/पार्ट-10/2017/581

दिनांक: 13.11.2017


-:आदेश:-

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 11 (7) एफ.डी/नियम/2008 दिनांक 12.09.2008 एवं एफ.14(88)वित्त (नियम)/2008-1 दिनांक 31.12.2009 में उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित कार्मिक जिन्होंने 27 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से एसीपी स्वीकृत की जाती है:-

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम व पद	पदस्थापन जिला	प्रथम नियुक्ति तिथि	दिनांक एवं पूर्ण सेवावधि	देय पे बैंड/ च. वेतनमान	देय पे ग्रेड
1.	दिलीप चंद डांगी नर्स प्रथम	जोधपुर	20.06.90	20.06.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
2.	नरपत सिंह कुम्पावत नर्स प्रथम	जोधपुर	25.06.90	25.06.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
3.	दिलीप सिंह राठौड़ नर्स प्रथम	जोधपुर	20.06.90	20.06.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
4.	सुरेश चन्द तिवाड़ी नर्स प्रथम	भीलवाड़ा	01.07.90	01.07.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
5.	कैलाश चन्द राव नर्स प्रथम	भीलवाड़ा	03.07.90	03.07.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
6.	शाजी भारद्वाज नर्स प्रथम	बीकानेर	09.07.90	09.07.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
7.	मणि शर्मा नर्स प्रथम	बीकानेर	09.07.90	09.07.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
8.	शान्ति शर्मा नर्स प्रथम	बीकानेर	09.07.90	09.07.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
9.	नारायण सिंह चौहान नर्स प्रथम	जालौर	12.07.90	12.07.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
10.	नरपतदान नर्स प्रथम	जालौर	23.07.90	23.07.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
11.	गोविन्द सिंह नर्स प्रथम	जालौर	19.07.90	19.07.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
12.	हस्तीमल नर्स प्रथम	जालौर	20.07.90	20.07.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
13.	राजकुमार पानेरी	उदयपुर	11.07.90	11.07.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
14.	एलिस वर्गिस नर्स प्रथम	उदयपुर	30.06.90	30.06.17 27 वर्ष	15600-39100	6000

15.	महेन्द्र कुमार सिसोदिया नर्स प्रथम	उदयपुर	11.07.90	11.07.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
16.	गिरजा शर्मा नर्स प्रथम	उदयपुर	11.07.90	11.07.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
17.	नरेन्द्र कुमार शर्मा नर्स प्रथम	उदयपुर	11.07.90	11.07.17 27 वर्ष	15600-39100	6000

दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् तीसरी संतान नहीं होने की शर्त पर ही उक्त एसीपी मान्य होगी यदि किसी कर्मचारी के प्रकरण में तीसरी संतान की इस शर्त का उल्लंघन पाया गया तो उसके संबंध में यह आदेश प्रारंभ से ही शून्य होगा।



(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ


राजस्थान जयपुर

दिनांक 13/11/2017

क्रमांक: नर्सिंग/नर्स-1/एसीपी/पार्ट-10/2017/581

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अधीक्षक, पी.बी.एम एवं सम्बद्ध चिकित्सालय, बीकानेर/सेठ राम विलास भुवालका यक्षा आरोग्य सदन बडी, उदयपुर।
2. निदेशक, ईएसआई योजना, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा/जालोर।
4. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, पावटा जोधपुर।
5. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सहाड़ा मु. गंगापुर/गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)/जालोर, रानीवाड़ा (जालोर)।
6. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, गुरलां, हुरडा (भीलवाड़ा)।
7. संबंधित कर्मचारी को द्वारा प्रशासनिक अधिकारी।
8. आदेश/रक्षित पत्रावली।
9. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है उक्त आदेश की प्रति आज ही विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।



(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर